बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 105/आ0नि0श0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

विषय :- दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका (Guidlines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities) के अनुपालन के विषय में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आगामी माध्यमिक एवं इन्टर स्तरीय परीक्षाओं में राईटर एवं परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के विषय में दिव्यांगजनों विशेषकर दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के काफी परिवाद इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं।

(2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 (ग) के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उक्त बिन्दुओं के आलोक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के **F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018** के अन्तर्गत जारी दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका **(Guidlines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities)** की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित निदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों को आगामी माध्यमिक एवं इन्टर स्तरीय परीक्षाओं में अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान की जाय। इस कार्यालय को प्राप्त परिवाद पत्रों के आलोक में राईटर एवं परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के विषय में मार्गदर्शिका में वर्णित बिन्दुओं के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन
31.01.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 105/आ0नि0श0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.01.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030........

ज्ञापांक- 105/आ0नि0क0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 105/आ0नि0क0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रतिलिपि :- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 105/आ0नि0क0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रतिलिपि :- दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं इस सम्बन्ध में दिव्यांगजनों को अपने स्तर से जागरूक करने हेतु प्रेषित।

31.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 105/आ0नि0क0 दिनांक- 31 जनवरी'19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।